समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला गोपनीय शाखा)

फोन न0:-06114-223001, 223004
फैक्स न0 :- 06114-223142
ई-मेल:-dm-jehanabad.bih@nic.in

ज्ञापांक 2254 / गो0
दिनांक 25.12.2015

आदेश

दिनांक 21.11.2015 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के ज्ञापांक 7447 दिनांक 01.12.2015 के आलोक में विधि–व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हेतु निदेश प्राप्त हुए हैं, जिसका दृढ़ता पूर्वक अनुश्रवण एवं अनुपालन आवश्यक है।

1. **साम्प्रदायिक मामले** :– साम्प्रदायिक मामलों में तनाव की कुछ घटनाएँ हाल ही में घटित हुई है। उपरोक्त मामलों में घटना के कारणों की विस्तृत समीक्षा आवश्यक है। जिले में साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों का सर्वेक्षण कर पूर्व से ही चिन्हित कर लिया जाना आवश्यक है। शान्ति समिति के गठन में समाज के जिम्मेवार निष्पक्ष एवं प्रभावशाली महानुभावों का स्थान दिया जाना है। जुलूस के मार्गों का सत्यापन कर शत प्रतिशत लाईसेंस निर्गत करना अतिआवश्यक है। साम्प्रदायिक मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाया जाना है तथा ऐसे किसी मामले में घटना स्थल पहुँचने का समय इतना ही हो, जितना कार्य स्थल/थाना से घटना स्थल पर पहुँचने में समय लगता हो। इन अपराधों से निपटने के लिए बिल्कुल पेशेवर तरीके का इस्तेमाल किया जाना है। चौकीदारों तथा ग्रामीणों/ नागरिकों एवं अन्य विभागों से आसूचना प्राप्त करने हेतु नियमित समन्वय / समीक्षा बैठक किया जाय तथा स्थानीय स्तर पर आसूचना प्राप्त करने हेतु प्रणाली (Mechanism) विकसित किया जाना आवश्यक है। अफवाह/ झगड़ा फैलाने वाले तत्वों की पहचान कर उनकी गतिविधि पर नजर रखी जाय एवं निरोधात्मक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। यदि साम्प्रदायिक/सामुदायिक तनाव की घटना घटती है तो उक्त घटना से संबंधित काण्डों के दोषियों के विरूद्ध ससमय विधि सम्मत कार्रवाई आरंभ की जाय। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेश के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद को आदेश दिया जाता है कि वे प्रत्येक माह इस तरह के मामलों की समीक्षा अपने स्तर से करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करायेंगे की इस तरह की घटना घटित नहीं हो।

2. **विधि–व्यवस्था** :– विधि–व्यवस्था कायम रहे इसके लिए प्रशासनिक महकमें की visibility एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस कड़ी में वाहन जॉच एवं सघन गश्ती बहुत उपयोगी प्रक्रिया है। सभी थानाध्यक्ष वाहन जॉच तथा सघन गश्ती कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि मामूली से घटनाओं पर असमाजिक तत्व सड़क जाम करते हैं। ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाय। किसी भी स्थिति में सड़क जाम बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। हाल के दिनों में विधि–व्यवस्था एवं पुलिस फायरिंग की घटनाओं पर विडियों कॉफ्रेंसिंग में चिन्ता व्यक्त की गयी। इस तरह की घटनाओं के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि जनता के साथ पदाधिकारियों का संवाद नहीं हो पा रहा

है। इस क्रम में जनता के दरबार में कार्यक्रम को प्रभावी ढ़ंग से किया जाना है। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि सप्ताह में नियत दिवस को जनता के दरबार में कार्यक्रम को प्रभावी ढ़ंग से करना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा थानाध्यक्ष अपने–अपने प्रखंड़ों में प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद के स्थानों की पहचान एवं निराकरण हेतु संयुक्त रूप से प्रखंड में बैठक करेंगे तथा इस संबंध में आवश्यक कदम उठायेंगे। अंचल अधिकारी भूमि विवाद से संबंधित मामलों को विहित प्रपत्र में पंजीकृत करते हुए अनुपालन उल्लेखित करना सुनिश्चित करेंगे। जो मामले अंचल स्तर पर सुलझा लिये जाने वाले हैं, उन्हें अंचल स्तर पर ही सुलझा लिया जाय। शेष मामलों को अनुमंडल स्तर पर प्रतिवेदित किया जाय। साथ ही जिन भूमि विवाद के मामलों में शांति भंग की आशंका महसूस हो उन मामलों में संबंधित व्यक्तियों पर Cr.P.C. की धारा 107/144 के तहत आवश्यकतानुसार कार्रवाई का प्रस्ताव अंचल अधिकारी तथा थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से भेजेंगे। अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में भूमि संबंधित मामलों को रेफर करायेंगे। सभी अंचल अधिकारी विहित प्रपत्र अपर समाहर्ता, जहानाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक शनिवार की बैठक की कार्रवाई की छायाप्रति जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक तथा अनुमंडल पदाधिकारी को ईमेल से भेजी जायेगी तथा जहानाबाद प्रशासन के वाट्स अप ग्रुप पर भेजी जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में कैम्प न्यायालय लगायेंगे तथा निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बंधपत्र में प्रतिभूति की राशि बढ़ाते हुए कार्रवाई करेंगे। जातीय एवं साम्प्रदायिक घटनाओं में व्यक्तिगत/ सरकारी संपति की क्षति की स्थिति में सामुहिक रूप से जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाय। ऐसी घटनाओं में दोषियों के विरूद्ध विडियोग्राफी कराकर अभियोजन साक्ष्य में शामिल किया जाना है। अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक 15 दिन में अनुमंडल स्तर पर भूमि विवाद की बैठक करेंगे तथा इसके लिए एक पंजी भी संधारित करवायेंगे। यह बैठक प्रत्येक द्वितीय तथा चतुर्थ सोमवार को की जायेगी। अनुमंडल स्तर पर मामलों की समीक्षा कर उन्हें आवश्यकतानुसार BLDR Act के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता को संदर्भित किया जाय/ 107/144 Cr.P.C. के तहत कार्रवाई की जाय।

3. **अपराध नियंत्रण** :– विडियो कॉफ्रेंसिग में अपराध की घटनाओं की समीक्षा करते हुए अपराध की घटनाओं के प्रकार, अपराध की प्रवृति एवं उनके पद्धति तथा इसके विस्तृत वर्गीकरण का सुझाव दिया गया है। कानून का राज पूर्ण रूप से सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है। डकैती/लूट की घटनाओं को एक साथ जोड़कर किसी क्षेत्र विशेष में संपति मूलक काण्डों (चोरी/गृह भेदन मिलाकर) का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है तथा इसके रोक थाम हेतु नियमित गश्ती, अपराधियों की पहचान, निगरानी प्रस्ताव, आसूचना संग्रह कर उद्भेदित गिरोह पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाना है। पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक इनके उद्भेदन एवं नियंत्रण में साक्ष्य के आधार पर अपराधियों पर विधि–सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अपराध की घटनाओं की समीक्षा कर कानून तोड़ने वालों पर चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो पर प्रभावकारी कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। काण्डों के अनुसंधान में विलंब नहीं होना चाहिए तथा अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति एवं तकनीकों का प्रयोग तो

किया जाय लेकिन इसके साथ–साथ रूटिन अनुसंधान की जो परंपरा है उसे नहीं भूलना है। महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराध के सभी मामलों में पूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता है। किन–किन उपायों से उक्त अपराध में कमी आ सकती है, इसका अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि पर करते हुए इसका विश्लेषण और वर्गीकृत कर उक्त घटनाओं को रोकने की कार्रवाई किया जाना है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक/ अपर पुलिस अधीक्षक/ पुलिस निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. **अभियोजन** :– विडियोकॉफ्रेंस में यह स्पष्ट किया गया कि conviction के आंकड़ों में हाल के वर्षो में गिरावट हो रही है। जिला में अभियोजन शाखा को मजबूत किया जाना आवश्यक है। पुलिस पदाधिकारी गवाहों/साक्षियों की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित करायेगे। गवाहों की सूची अद्यतन करा ली जाय तथा वेबसाईट points.bih.nic.in पर 15 दिनों में अपलोड कर देना है। संबंधित लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं सहायक जिला अभियोजन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे महत्वपूर्ण काण्डों के विचारण में व्यक्तिगत रूचि रखते हुए त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी तरह की कठिनाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करना सुनिश्चित करेंगे।

5. **CCA/NSA** :– हाल के दिनों में सी.सी.ए. के बहुत सारे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, परंतु प्रस्ताव सी.सी.ए./एन.एस.ए में अंतर्निहित मापदण्डों के अनुरूप नहीं तैयार किये जा रहे हैं, जिससे अधिकतर मामले माननीय न्यायालय के द्वारा अस्वीकृत किये जा रहे हैं। सभी थानाध्यक्ष/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ अपर पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि सी.सी.ए./एन.एस.ए. के प्रस्ताव भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्ताव अंतर्निहित मापदण्डों के अनुरूप है।

विधि–व्यवस्था की समस्या/अपराध को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि आम जनों से ठीक ढ़ंग से संवाद हो। अपराध से पिड़ित व्यक्तियों को राहत देने की कार्रवाई शीघ्र की जाय। दुर्घटना में मुआवजा शीघ्र पीड़ित को उपलब्ध करायी जाय। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद जिला को निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब इस तरह के मामलों में मुआवजा का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी/ सभी थानाध्यक्ष/ सभी पुलिस निरीक्षक/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/ अपर पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना एवं कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका/कम किया जा सके।

25/12/15

पुलिस अधीक्षक
जहानाबाद

25/12/15

जिला पदाधिकारी
जहानाबाद

ज्ञापांक 2254 /गो0, जहानाबाद, दिनांक 25.12.15

प्रतिलिपि – उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/ अपर समाहर्ता, जहानाबाद/अपर पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद / अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी/ सभी पुलिस निरीक्षक/ सभी थानाध्यक्ष, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला अभियोजन पदाधिकारी, जहानाबाद/ लोक अभियोजक, जहानाबाद/ सभी सहायक लोक अभियोजक / सभी विशेष लोक अभियोजक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/15
पुलिस अधीक्षक
जहानाबाद

25/12/15
जिला पदाधिकारी
जहानाबाद